रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1997/फाल्गुन 28, 1918
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28, 1918

indiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997

सा. का. नि. 154 (अ).—स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्रीमती रेवा नैय्यर को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है ।

[फा. सं. 820/12/96-पिट. एन. डी. पी. एस.]

आर. के. गुप्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 19th March, 1997

G. S. R. 154 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Prevention of Illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Smt. Reva Nayyar, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Act.

[F. No. 820/12/96-PITNDPS]

R.K. GUPTAN, Under Secy.

691GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.